

जल्लीकट्टू

प्रलिस के लयः

जल्लीकट्टू, अनुच्छेद 29, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज मामला, पोंगल, कंबाला

मेन्स के लयः

जल्लीकट्टू का पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्त्व, जल्लीकट्टू से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) की एक [संवधान पीठ](#) ने [जल्लीकट्टू](#) की रक्षा करने वाले तमलिनाडु के कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह के वाद को नरिणय के लयि आरक्षण कर लयिा है, जसिमें दावा कयिा गया है कि [साँडों को वश](#) में करने का खेल राज्य की सांस्कृतिक वरिसत है और [संवधान के अनुच्छेद 29 \(1\)](#) के तहत संरक्षण है।

- हालाँकि इन प्रथाओं की [जड़ें कुछ समुदायों की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से हो सकती हैं, ये प्रथाएँ अक्सर विवादास्पद होती हैं तथा पशु कल्याण समर्थकों द्वारा उनकी आलोचना की जाती है।](#)

जल्लीकट्टू:

- जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो भारतीय राज्य [तमलिनाडु](#) में लोकप्रयि है।
- इस खेल में लोगों की भीड़ में एक साँड को छोड़ दिया जाता है तथा प्रतभागी साँड के कूबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने या इसे नयिंतरण में लाने का प्रयास करते हैं।
- यह जनवरी के महीने में [तमलि फसल उत्सव, पोंगल](#) के दौरान मनाया जाता है।

संबद्ध चतिाएँ:

- इसमें शामिल प्रथमकि प्रश्न यह था कि क्या [जल्लीकट्टू](#) को [अनुच्छेद 29 \(1\)](#) के तहत सामूहकि सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संवधानकि संरक्षण दिया जाना चाहयि।
 - [अनुच्छेद 29 \(1\)](#) नागरिकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लयि संवधान के [भाग III](#) के तहत गारंटीकृत [मौलिक अधिकार](#) है।
- न्यायालय ने इस बात की जाँच की कि क्या कानून "पशुओं के प्रतिकूरता को बनाए रखते हैं" या वास्तव में "बैलों की देशी नस्ल के अस्तित्व और कल्याण" को सुनिश्चित करने के लयि आवश्यक है।
- पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर पक्षों को सुना कि क्या नए जल्लीकट्टू कानून संवधान के अनुच्छेद 48 के अनुरूप हैं, जसिमें राज्य से कृषि और पशुपालन को आधुनकि एवं वैज्ञानकि आधार पर संगठित करने का आग्रह कयिा गया है।
- संवधान पीठ ने इस बात पर भी गौर कयिा कि क्या [कर्नाटक और महाराष्ट्र के जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ कानून](#) वास्तव में [पशु कूरता रोकथाम अधनियम 1960](#) के तहत पशुओं के प्रतिकूरता की रोकथाम के उद्देश्य को पूरा करेंगे।

संबद्ध कानूनी हस्तक्षेप:

- वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल कयिा गया जनिा प्रशिक्षण और प्रदर्शनी प्रतबिंधति है।
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 की अधसिचना का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गई थी जसि पर फेसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतबिंध लगा दिया था।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू मामले को एक संवधान पीठ के पास भेज दिया, जहाँ यह मामला अब भी लंबति है।
- विवाद की जड़ [पशु कूरता रोकथाम \(तमलिनाडु संशोधन\) अधनियम 2017](#) और [पशु कूरता रोकथाम \(जल्लीकट्टू का संचालन\) नयिम](#)

2017 है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2014 के प्रतर्बिंध के बावजूद संस्कृत और परंपरा के नाम पर बैलों को काबू में करने वाले लोकप्रिय खेल के संचालन के लिये दरवाज़े फरि से खोल दिये थे।

जल्लीकट्टू के पक्ष और वपिक्ष में तर्क:

■ पक्ष में तर्क:

- तमलिनाडु में जल्लीकट्टू, राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका प्रभाव जाति और पंथ की सीमाओं से परे है।
- राज्य सरकार के अनुसार, "एक प्रथा जो सदियों पुरानी है और एक समुदाय की पहचान का प्रतीक है, को वनियमिति एवं सुधारा जा सकता है जिस प्रकार मानव जाति पूरी तरह से समाप्त होने के बजाय विकसित होती है।"
- इसमें कहा गया है कि इस तरह के उत्सव पर किसी भी प्रतर्बिंध को "संस्कृतिके प्रतर्शतुरुतापूर्ण और समुदाय की संवेदनशीलता के खिलाफ" के रूप में देखा जाएगा।
- जल्लीकट्टू को "पशुओं की कीमती स्थानीय नस्ल के संरक्षण के लिये एक उपकरण" के रूप में वर्णित करते हुए सरकार ने तर्क दिया कि पारंपरिक आयोजन करुणा और मानवता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।
- उसने तर्क दिया कि उत्सव के पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्त्व एवं सामाजिक-सांस्कृतिक परविश के साथ इसके अंतर्संबंध को हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है ताकि "आगामी पीढ़ियों तक इसका महत्त्व बनाए रखा जा सके।"

■ वपिक्ष में तर्क:

- याचिकाकर्त्ताओं का तर्क था कि जानवरों का मनुष्यों के जीवन से अटूट जुड़ाव रहा है। स्वतंत्रता "हर जीवित प्राणी में नहित है, चाहे वह जीवन के किसी भी रूप में हो," क्योंकि यह ऐसा पहलू है जिसे संविधान द्वारा मान्यता दी गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर लगाए गए प्रतर्बिंध के संदर्भ में तमलिनाडु सरकार द्वारा कानून बनाया गया था।
- जल्लीकट्टू के आयोजन के परिणामस्वरूप राज्य के कई जिलों में हुई मौतों और चोटिलों में मनुष्यों के साथ-साथ साँड भी शामिल थे।
- याचिकाकर्त्ताओं का मत था कि तमलिनाडु सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बावजूद कुछ साँडों पर अत्याचार के मामले देखने को मिलते रहे हैं।
- उनके अनुसार, ये जानवर अत्यधिक क्रूरता के भी शिकार हुए हैं।
- जल्लीकट्टू को संस्कृतिके एक हिस्सा मानने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।
- आलोचकों ने इस घटना की तुलना सती और दहेज जैसी प्रथाओं से की थी, जिन्हें एक समय संस्कृतिके हिस्से के रूप में भी मान्यता दी गई थी और कानून द्वारा प्रतर्बिंधित कर दिया गया था।

अन्य राज्यों में समान प्रकार के खेलों की स्थिति:

- समान प्रवृत्तिके खेल कंबाला को जीवित रखने के लिये कर्नाटक द्वारा भी एक कानून पारित किया गया।
- तमलिनाडु और कर्नाटक को छोड़कर साँडों को पालतू बनाने और रेसिंग का आयोजन करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के प्रतर्बिंध आदेश के कारण आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में इस प्रकार के खेलों पर प्रतर्बिंध लगाया गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. धर्मनरिपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिके प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (2019)

[स्रोत: द हट्टि](#)